उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
32/021	136 LR Act	तेलनी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
भवरी बाई	बनाम	राज0 सरकार 2021/165

वकील :- सुरेन्द्र भार्गव एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
21/9/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 9/11/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज.)	
8/8/22	राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प के लिए पत्रावली प दिनांक 13/8/22 नियत की जाती है । लोक अदालत कोर्ट केम्प मे निस्तारण नहीं होने की दशा मे पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 31/8/22 को न्यायालय मे पेश हो। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां	
31/8/22	... पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 12/11/22 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
	राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट 12/11/22	
12/11/22	पत्रावली आज राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम तेलनी के खाता 22 में प्रार्थीगण के पिता नाम गोपीलाल पुत्र मोहन के स्थान पर गोपीलाल पुत्र मोला सहवन	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश

से दर्ज कर दिया गया है जिसे गोपीलाल पुत्र गोटू दर्ज कराने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R Act दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार इटावा से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इटावा से बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 14/3/22 को प्राप्त हुई है। तहसीलदार इटावा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मय मौजे आम में मुताबिक पटवारी रिपोर्ट अनुसार गोपीलाल पुत्र नोला एवं गोपीलाल पुत्र गोटू भील एक ही व्यक्ति है तथा सही नाम गोपीलाल पुत्र गोटूलाल भील होना बताया है। आधार कार्ड नम्बर 291814755414 में भी प्रार्थी का नाम गोपीलाल पुत्र गोटूलाल भील दर्ज है तथा ग्राम में भी इसी नाम से जाना जाता है।

अतः मौजा तेलनी के खाता संख्या 22 सम्वत 2076-2079 खाता संख्या 20 सम्वत 2076-79 में प्रार्थी का नाम गोपीलाल पुत्र गोटू की नकली दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं तहसीलदार इटावा की रिपोर्ट पर मनन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2076-79 ग्राम तेलनी के खाता संख्या 20 में प्रार्थी गोपीलाल पुत्र गोटू का नाम दर्ज रिकार्ड होना पाया जाता है। तथा दस्तावेज मृत्यु प्रमाण, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आदि में प्रार्थिया के पति का नाम गोपीलाल पुत्र गोटू दर्ज होना पाया जाता है। तथा जमाबंदी सम्वत 2076-79 ग्राम तेलनी के खाता संख्या 22 में प्रार्थिया के पति का नाम गोपीलाल पुत्र नोला दर्ज होना पाया जाता है। सम्वत 2076-2079 जमाबंदी ग्राम तेलनी के खाता संख्या 20 व 22 में प्रार्थिया के पति का नाम

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
दो पृथक-पृथक नाम अंकित होने पर अशुद्ध नाम को शुद्ध कराने हेतु प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। जिसे अशुद्ध नाम गोपीलाल पुत्र नोला के स्थान पर गोपीलाल पुत्र गोटू शुद्ध किया जाना हम उचित समझते है। अतः तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया के पति का नाम सोमतीर्थ भाषा में गोपीलाल पुत्र नोला के स्थान पर गोपीलाल पुत्र गोटूलाल उर्फ नोला ग्राम तेलनी के खाता संख्या 22 में दर्ज करने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार पालना सुनिश्चित करे। आदेश प्रति तहसीलदार छबड़ा को भेजी जावे। निर्णय लिखाया जाकर सरेआम इजलास सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 12/11 उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा (बारां)	